119

मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय माननीय ~~अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर~~

पुनरीक्षण ~~अपील~~ क्रं. निगरानी 7012-I-2015

आवेदक ~~अपीलार्थी~~ – (1) विनोद कुमार चक्रवर्ती आत्मज श्री प्रेमलाल चक्रवर्ती

(2) अशोक चक्रवर्ती पिता श्री प्रेमलाल चक्रवर्ती दोनों

निवासी 1609 गढ़ा वार्ड तह. व जिला जबलपुर

निष्पादक (1) श्री रोहित तिवारी आत्मज श्री प्रमोद तिवारी

1601 शास्त्री नगर त्रिपुरी वार्ड जबलपुर

(2) श्री त्रिषि मनचंदा आत्मज श्री सुभाष मनचंदा

24 नेहरू नगर त्रिपुरी वार्ड जबलपुर

520

अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार
16 JUN 2015
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

सहमतिदाता – कोई नहीं

दावेदार – अपीलार्थीगण

लिखित की तारीख – 03/04/2013

सम्पत्ति का विवरण – मौजा पुरवा नं.व. 162 प.ह.नं. 28/33 रा.नि.मं. जबलपुर 1 महाराणा प्रताप वार्ड तह. व जिला जबलपुर ख.नं. 86 का भाग प्लाट रकवा 1470 वर्गफुट पुरवा मार्ग के अन्दर

कलेक्टर आफ स्टाम्प का प्रकरण कं. एवं आदेश दिनांक :– प्रकरण कं.

365/बी 103/धारा 33/2012-13 आदेश पारित दिनांक 20/06/2014

विरूद्ध

अनावेदक

उत्तरवादी (1) मध्यप्रदेश शासन द्वारा उपपंजीयक जबलपुर

(2) न्यायालय कलेक्टर आफ स्टाम्प जबलपुर

पुनरीक्षण ~~अपील~~ अतर्गत धारा 56 ~~47-अ~~ (4) भारतीय मुद्रांक अधि. 1899

NOTARY
Narendra Shrivas
Reg. No. M.P.-19/07/12/
2011/218/2/2011
M.P. INDIA
Distt. JABALPUR

आवेदकगण ~~अपीलार्थीगण~~ न्यायालय कलेक्टर आफ स्टाम्प, जिला जबलपुर (उत्तरवादी क्र. 2) द्वारा प्रकरण क्रं. 365/बी 103/धारा 33/2012-13 पक्षकार म.प्र. शासन द्वारा उपपंजीयक जबलपुर विरूद्ध – (1) रोहित तिवारी (2) त्रिषि मनचंदा, प्रकरण में पारित आदेश दि. 30.06.2014 से पीड़ित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर अपील प्रस्तुत करते है :–

16 JUN 2015

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 7012–एक/15 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.7.16	प्रकरण का अवलोकन किया । आवेदकों द्वारा यह निगरानी कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 365/बी–103/धारा 33/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 30–6–14 से परिवेदित होकर भारतीय स्टाम्प एक्ट, 1899 (जिसे आगे स्टाम्प एक्ट कहा जायेगा) की धारा 56 (4) के विरूद्ध पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक कमांक 3 एवं 4 द्वारा आवेदक कमांक 1 एवं 32 के पक्ष में दस्तावेज निष्पादित कर उसे पंजीयन हेतु उप पंजीयक, के समक्ष प्रस्तुत किया । दस्तावेज के मुख्य पृष्ठ पर 99117/– रूपये के स्टाम्प पर निष्पादित होने का उल्लेख किया गया किंतु दस्तावेज मात्र 2500/– के स्टाम्प पर निष्पादित होने के कारण उप पंजीयक द्वारा मुद्रांक अधिनियम की धारा 33 में दस्तावेज को अवरूद्ध कर धारा 38(2) के तहत कार्यवाही हेतु कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को प्रेषित किया । उक्त पर से कलेक्टर ऑफ स्टाम्प प्रकरण पंजीबद्ध कर आवेदकों को सूचनापत्र जारी किया गया । आवेदकों की ओरसे कोई उपस्थित न होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेज में उल्लिखित संपत्ति का बाजार मूल्य 27,32,500/– अवधारित करते हुए उस पर 191275/– रूपये का मुद्रांक शुल्क प्रभार्य माना तथा आवेदक द्वारा निष्पादन के समय चुकाई गई 2500/– रूपये की राशि कम करते हुए शेष कमी मुद्रांक शुल्क एवं शास्ति रूपये 26225/– कुल 2,15,000/– रूपये की राशि एक माह में	

निग0 - 7012 - I/15 जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

जमा करने के निर्देश दिए । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकों पर कोई नोटिस नहीं दिया गया है एवं बिना नोटिस तामील हुए आवेदकों को अनुपस्थित मानकर आदेश पारित किया गया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है ।

यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक द्वारा खाली प्लॉट क्रय किया गया है अधीनस्थ न्यायालय ने खाली प्लॉट पर निर्माण होने की संभावना व्यक्त करते हुए मूल्यांकन करने में त्रुटि की गई है ।

यह भी कहा गया है कि आदेश पारित करने के पूर्व ना तो उप पंजीयक ने और ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने स्थल निरीक्षण किया है । उक्त आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को विधि विरूद्ध बताते हुए निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक शासन प्रकरण में एकपक्षीय है ।

5/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से आवेदक के इस तर्क की पुष्टि होती है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश पारित किया गया है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में इस प्रकार का कोई सूचनापत्र संलग्न नहीं है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि उन पर सूचना पत्र का निर्वहन हुआ था । अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं में भी इस प्रकार का उल्लेख नहीं है कि आवेदकों को सूचनापत्र तामील हो चुका है और वह सूचना उपरांत अनुपस्थित हैं । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें अनुपस्थित मानते हुए जो आदेश पारित किया

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 7012–एक/15 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	गया है वह नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है । अतः इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विधिवत निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये । परिणामतः यह प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर देते हुए तथा प्रश्नाधीन संपत्ति का स्थल निरीक्षण करने के उपरांत प्रकरण का विधिवत निराकरण करें । उभयपक्ष सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हों । सदस्य	